बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक–...............................

सख्या :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 13/2024. –............................... दिनांक 27.07.2024 को माननीय विभागीय मंत्री महोदया की अध्यक्षता में मत्स्य निदेशालय के वरीय पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत लाभुक अव्यवों के तहत पटना जिला अन्तर्गत बख्तियारपुर खुसरूपुर अंचल अवस्थित निर्माणाधीन 20 टन प्रति उत्पादन क्षमता का फिश फीड मील, बायोफ्लॉक (50 टैंक) एवं वृहद RAS की औचक स्थल निरीक्षण किया गया।

उक्त औचक निरीक्षण के समय मत्स्य निदेशालय के सभी पदाधिकारियों के साथ विभागीय माननीय मंत्री महोदया के द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनाअंतर्गत लाभुक आधारित अवयवों के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 में पटना जिलान्तर्गत खुसरूपुर एवं बख्तियारपुर अंचल में तीन योजनाएँ स्वीकृत हुआ था। इन तीनों योजनाओं यथा वृहद फिश फीड मील (20 टन), वृहद बायोफ्लॉक (50 टैंक) एवं वृहद RAS (8 टैंक) के कार्यादेश फरवरी एवं मार्च 2022 में निर्गत हुआ। कार्यादेश के शर्त्तो के अनुसार शेड के निर्माण, बिजली कनेक्शन/जेनरेटर अधिष्ठापन, मशीन/उपकरण की उपलब्धता उपरांत ही लाभुक को अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाना था परंतु श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी, पटना सम्प्रति व्याख्याता, मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत् निर्गत कार्यादेश, अनुदेश एवं राज्यादेश में निहित प्रावधानों/शर्त्तो का उल्लंघन करते हुए बिना स्थलीय जाँच के ही वृहद फिश फीड मील (20 टन) के लाभुक श्रीमती रेहाना खातुन, सुल्तानगंज, पटना, वृहद बायोफ्लॉक (50 टैंक) के लाभुक श्री मुकुल कुमार, बख्तियारपुर, पटना तथा वृहद RAS (8 टैंक) के लाभुक श्री राहुल कुमार, बख्तियारपुर, पटना को प्रथम किस्त के अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया गया। योजना के अनुदान विमुक्ति में श्री श्रीवास्तव के द्वारा घोर वित्तीय अनियमितता बरती गयी।

उक्त आरोप के लिए श्री श्रीवास्तव को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1844, दिनांक 09.10.2024 द्वारा निलंबित किया गया तथा निलंबनादेश के विरूद्ध समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक 15.10.2024 के समीक्षोपरांत उन्हें विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 437 नि॰गो॰, दिनांक 18.12.2024 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया। इसप्रकार श्री श्रीवास्तव दिनांक 09.10.2024 से दिनांक 17.12.2024 तक निलंबित रहें हैं।

साथ ही श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध उक्त आरोप के लिए आरोप–पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 436 नि॰गो॰, दिनांक 18.12.2024 द्वारा उनसे बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री श्रीवास्तव के द्वारा दिनांक 23.01.2025 को बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री श्रीवास्तव के द्वारा समर्पित उक्त बचाव के लिखित अभिकथन की समीक्षा विभाग के द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत श्री श्रीवास्तव के बचाव के लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया, जिसके लिए निदेशक, मत्स्य को संचालन पदाधिकारी एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

संचालन पदाधिकारी निदेशक, मत्स्य के द्वारा मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 4381, दिनांक 09.12.2025 के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित मंतव्य में अंकित किया गया कि *''विभागीय कार्यवाही में भिन्न–भिन्न तिथियों को हुई सुनवाई के दौरान आरोपित कर्मी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा प्रस्तुत पक्ष एवं अन्य अभिलेखों जो रिकार्ड मे लाया गया, के आधार पर इस मामलें में उनका निष्कर्ष है कि श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी, पटना के द्वारा दिया गया अनुदान, कार्य को गति देने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें प्रक्रियात्मक चूक हो सकती है तथा Follow up में भी विलंब एक कारण हो सकता है। किन्तु श्री श्रीवास्तव का कोई अन्यथा मंशा प्रतीत नहीं होता है। Error in judgment हो सकता है'* ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत निदेशक, मत्स्य के उक्त मंतव्य से सहमत होते हुए सरकार के द्वारा श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी – सह – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सम्प्रति व्याख्याता, मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना को आरोप से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी – सह – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सम्प्रति व्याख्याता, मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना को आरोप से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2)13/2024– ..../ पटना–15, दिनांक–.....................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2)13/2024– ..../ पटना–15, दिनांक–.....................

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2)13/2024– 90 नि०गो०, पटना–15, दिनांक–25/02/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्य/उप मत्स्य निदेशक, पटना परिक्षेत्र, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी, पटना/श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी – सह – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सम्प्रति व्याख्याता, मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी–01/विभागीय आई॰टी॰ मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.26

सरकार के संयुक्त सचिव।